

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 जून 2026 — ज्येष्ठ 13, शक 1948

खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जून 2026

अधिसूचना

GENCOR/3462/2025-SPORTS.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभाग द्वारा उपलब्ध करायी, जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

क	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अधीन सेवा, जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले उत्तरदायी पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खेल संघों को विभागीय मान्यता की निरंतरता एवं राज्य खेल संघों के विभागीय मान्यता के नवीनीकरण हेतु आवेदन	45 दिवस	सहायक संचालक / जिला खेल अधिकारी / वरिष्ठ खेल अधिकारी	उप संचालक	आयुक्त / संचालक
2	प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन	30 दिवस	सहायक संचालक / जिला खेल अधिकारी / वरिष्ठ खेल अधिकारी	संयुक्त संचालक	आयुक्त / संचालक
3	खेल अकादमियों में प्रवेश एवं चयन ट्रायल हेतु आवेदन	30 दिवस	सहायक संचालक / प्रशासक जिला खेल अधिकारी / वरिष्ठ खेल अधिकारी	उप संचालक	आयुक्त / संचालक

4	प्रतियोगिताओं एवं आयोजनों के लिए राज्य स्वामित्व की खेल अधोसंरचना के अस्थायी उपयोग हेतु आवेदन	30 दिवस	सहायक संचालक / जिला खेल अधिकारी / वरिष्ठ खेल अधिकारी	संयुक्त संचालक	आयुक्त / संचालक
---	---	---------	--	----------------	-----------------

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखनाथ अहिरवार, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd June 2026

NOTIFICATION

GENCOR/3462/2025-SPORTS .— In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh lok sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government hereby notifies the services to be provided by the department as specified in the Schedule given below, along with the stipulated time limit for delivery of such services, the designation of the Designated Officer (post) responsible for providing the service, the Competent Authority, and the designation of the Appellate Authority, namely :-

Sr. no	Service to be provided under the Chhattisgarh lok sewa Guarantee Act, 2011	Time limit for providing service (working days)	Designated Officer (post) responsible for providing the service	Competent Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Application for continuation of departmental recognition of sports associations and for renewal of departmental recognition of state sports associations.	45 Days	Assistant Director /District Sports Officer/ Senior Sports Officer	Deputy Director	commissioner/ Director
2	Application for protsahan rashi for meritorious sports person	30 Days	Assistant Director /District Sports Officer/ Senior Sports Officer	Joint Director	commissioner/ Director
3	Application for admission and selection trials in sports academies.	30 Days	Assistant Director/ Administrator/ District Sports Officer/ Senior Sports Officer	Deputy Director	commissioner/ Director
4	Application for temporary usage of state owned sports infrastructure for competitions and events	30 Days	Assistant Director /District Sports Officer/ Senior Sports Officer	Joint Director	commissioner/ Director

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUKHNATH AHIRWAR, Joint Secretary.